कार्यालय मुख्य अग्नि शमन अधिकारी अमरोहा

पत्र सं0:– नि0आ0 / सीएफओ / अमरोहा / 2016 / 162 दिनॉक: 6.05.016

सेवा में,

अपर जिलाधिकारी

अमरोहा।

विषयः–खसरा संख्याः–187 ग्राम मंसूरपुर तहसील हसनपुर जनपद अमरोहा पर प्रस्तावित एक रिटेल आउटलेट (पैट्रोल पम्प) की स्थलीय निरीक्षण आख्या के सम्बंध में।

सन्दर्भः– आपका पत्रांक 316 / आबकारी लिपिक / 2016 दिनॉक: 05.02.2016

महोदय,

उपरोक्त विषयक / सन्दर्भित अपने पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रश्नगत स्थल पर रिटेल आउटलेट (पैट्रोल पम्प) की स्थापना हेतु आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

उक्त प्रस्तावित स्थल का प्रभारी अग्निशमन अधिकारी गजरौला द्वारा अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से स्थलीय निरीक्षण किया गया तथा उपलब्ध अभिलेखों एवं मानचित्रों का परीक्षण किया गया, जिसका विवरण निम्नवत है:–

1. प्रश्नगत स्थल के सामने रोड की चौड़ाई मानकों के अनुसार है।
2. प्रश्नगत स्थल पर अग्निशमन वाहन आसानी से आ–जा सकते हैं।
3. प्रश्नगत स्थल के ऊपर से कोई विद्युत लाईन नहीं गुजर रही है।
4. प्रश्नगत स्थल गजरौला–सम्भल मार्ग (SH-51) पर स्थित है।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रश्नगतरिटेल आउटलेट पैट्रोल पम्प की स्थापना हेतु पैट्रोलियम एक्ट–1934 के अनुसार अग्नि से सुरक्षा सम्बंधी प्राविधान किये जाने अनिवार्य होंगें जो निम्नवत है:–

1. 45 लीटर क्षमता की 02 अदद मैकेनिकल फोम ट्राली।
2. ए0बी0सी0 टाईप फायर एक्सटिंग्यूशर 10 अदद स्थापित कराये जाये।
3. नो स्मोकिंग बोर्ड स्थापित कराया जाये।
4. 05–05 अदद फायर बकेट एवं वाटर बकेट स्थापित कराये जाये।

अतः प्रस्तावित स्थल पर प्रस्तावित रिटेल आउटलेट (पैट्रोल पम्प) के निर्माण कार्य के लिए निरीक्षण आख्या निम्नलिखित प्रतिबंधों के साथ प्रेषित की जाती है:–

1. प्रस्तावित स्थल पर पैट्रोल पम्प सभी निर्माण कार्य पैट्रोलिम एक्ट–1934 एवं सम्बधित पैट्रोलिम विषयक समय–समय पर यथा संसोधित विधियों एवं तत्समय प्रवत्त किसी अन्य विधि मेंउल्लेखित विधि के अनुरुप।
2. मानचित्र में दिये गये कम संख्या 01 से 21 तक बिन्दुओं का पालन करना अनिवार्य होगा।
3. प्रस्तावित स्थल के ऊपर से किसी प्रकार हाई / लो टेशन विद्युत लाईन नहीं गुजारी जायेगी।

कमश 2.....पर

4. प्रस्तावित स्थल पर मानचित्रों में दर्शाये गये पैट्रोल पदार्थों के अतिरिक्त अन्य कोई ज्वलनशील भण्डारण नहीं किया जायेगा।
5. प्रस्तावित स्थल पर रिटेल आउटलेट स्थापित कराने के दौरान धूम्रपान निषेध बोर्ड, अग्निशमन केन्द्र का टेलीफोन नम्बर व अग्निशमन संकेतक अंकित कराये जायेगें।
6. पैट्रोल पम्प के निर्माण के उपरान्त स्थल पर किसी भी प्रकार के पदार्थों या स्थितियों आदि जो चिंगारी आग उत्पन्न करते हैं, का प्रयोग वर्जित होगा तथा इसमें समुचित उपाय किये जायेगें।
7. प्रस्तावित भण्डारण स्थल पर विद्युत सुरक्षा व्यवस्था इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट एवं भारतीय मानक ब्यूरों के आई0एस0–1646:1982 तथा सम्बंधित नियमों में निर्धारित मानकों के अनुसार करानी जानी अनिवार्य होगी।
8. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट (पैट्रोल पम्प) निर्मित किये जाने तथा उपरोक्तानुसार प्रस्तावित अग्नि शमन व्यवस्थाओं के व्यवस्थापन किये जाने के उपरान्त रिटेल आउटलेट (पैट्रोल पम्प) आरम्भ करने से पूर्व स्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं का निरीक्षण / परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

अतः उपरोक्त शर्तों के अधीन प्रस्तावित रिटेल आउटलेट (पैट्रोल पम्प) के निर्माण हेतु अग्नि सुरक्षा सम्बंधी निरीक्षण आख्या संस्तुति सहित प्रेषित है, अन्यथा की स्थिति में निर्गत की जा रही निरीक्षण आख्या स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी।

(मुनेन्द्र कुमार त्यागी)
मुख्य अग्नि शमन अधिकारी
जनपद– अमरोहा

प्रतिलिपिः– प्रभारी अग्निशमन अधिकारी गजरौला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।